

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

कार्यालय आदेश


का0आ0सं0:- 240 पटना, दिनांक:- 26/7/10

ग्रा0वि0 1स्था0(रा0प0/सूचना)-32/2006 (पार्ट)

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-5 (1) के तहत श्री अजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है।

2. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।


3. प्रस्ताव में प्रधान सचिव की सहमति प्राप्त है।



सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 8197 पटना, दिनांक:- 26/7/10


प्रतिलिपि:- सचिव-सह-निबंधक, राज्य सूचना आयोग, सूचना भवन, चौथा तल्ला, बिहार, पटना/महानिदेशक, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, बाल्मी परिसर, फुलवारी शरीफ, पटना/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 8197 पटना, दिनांक:- 26/7/10


प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को राज्य से प्रकाशित होने वाले चार दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन करने हेतु सी0डी0 सहित संलग्न कर भेजा जा रहा है।



सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 8197 पटना, दिनांक:- 26/7/10


प्रतिलिपि:- श्री अजय कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री सिन्हा, लोक सूचना से संबंधित मामलों में आवश्यकतानुसार सीधे संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी को पृष्ठांकित कर वांछित सूचना प्राप्त करेंगे एवं आवेदक को ससमय उपलब्ध करायेंगे।



सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 8197 पटना, दिनांक:- 26/7/10


प्रतिलिपि:-सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रशाखा पदाधिकारी, लोक सूचना पदाधिकारी के मांग पर सीधे वांछित सूचना उपलब्ध करायेंगे। किसी भी प्रकार के विलंब के लिए वे उत्तरदायी होंगे।



सरकार के संयुक्त सचिव

जापांक:- 8197 पटना, दिनांक:- 26/7/10

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/सभी सहायक/श्री दुर्गेश रंजन, सांख्यिकी सहायक, गुप्त वार्ता इकाई, ग्रामीण विकास विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट में लाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव